राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा–2024 से संबंधित FAQs

1. क्या अटस्टेशन फॉर्म दो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए?

जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है, दोनों अटेस्टेशन फॉर्म एक ही राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

2. जाति प्रमाण पत्र कब तक का जारी किया हुआ होना चाहिए?

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र ऑन लाईन आवेदन की अंतिम तिथि 04.07.2024 या इससे पूर्व का जारी किया होना चाहिए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र ऑन लाईन आवेदन की अंतिम तिथि 04.07.2024 या इससे 1 वर्ष पूर्व तक का ही मान्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पास उक्त समयावधि में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो, उसकी पात्रता संबंधित वर्ग में होने के संबंध में अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें अभ्यर्थी सशपथ यह बयान करेगा कि ऑन लाईन आवेदन की अंतिम तिथी, इससे पूर्व एवं वर्तमान में भी वह उक्त जाति/श्रेणी की पात्रता रखता है एवं इसके साथ ही अभ्यर्थी स्वयं का पूर्व में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र एवं नवीनतम जारी जाति प्रमाण भी इस शपथ पत्र के साथ संलग्न करेगा।

3. अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की दशा में क्या किया जा सकता है?

अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी यदि राजकीय सेवा/निजी क्षेत्र में कार्यरत है तो उसे अपने संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है।

4. किन्ही अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सकते उन्हे क्या करना होगा?

यदि अभ्यथी किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपने दस्तावेज सत्यापन की निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसे उक्त के संबंध में एक प्रार्थना पत्र जिसमें उक्त निर्धारित

तिथि को अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट रूप से अंकित हो, अपने रोल नं., दस्तावेज स्तयापन की तिथि, समय एवं दल का नाम अंकित कर मय हस्ताक्षर विभाग को ऑफलाईन/ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

5. क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है?

जी हां, यह अनिवार्य नहीं है किन्तु आप अपने कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. दहेज संबंधित घोषणा पत्र में वर–वधु स्वयं, उनके माता–पिता एवं सास–ससुर के हस्ताक्षर के संबंध में क्या करना होगा–

अ. यदि आपसी/पारिवारिक विवाद, विवाद न्ययालय के अधीन विचाराधीन होने के कारण वर/वधु, सास–ससुर के हस्ताक्षर दहेज संबंधित घोषणा पत्र पर नहीं हो पा रहे हैं तो अभ्यर्थी उक्त के संबंध में एक **50 रूपये का नॉन ज्यूडिशल (गैर न्यायिक) शपथ** पत्र विभाग को प्रस्तुत करेगा जिसमें हस्ताक्षर नहीं होने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित हो।

ब. यदि वर–वधु, माता–पिता या सास–ससुर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो अभ्यर्थी को दहेज संबंधित घोषणा पत्र में माता, सास, चाचा, बड़े भाई, बड़ी बहन या परिवार के किसी उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं।

7. क्या चरित्र प्रमाण पत्र एक ही राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है?

नहीं, अभ्यर्थी को दो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।

8. क्या वचनबंध प्रपत्र एवं संविधान घोषणा पत्र को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशल (गैर न्यायिक) शपथ पत्र पर प्रस्तुत करना है?

नहीं, उक्त दोनो प्रपत्र विभाग द्वारा आपको उपलब्ध कराये गये हैं, को सादे कागज पर प्रिंट लेकर उसमें अपेक्षित सूचना नीली/काली स्याही का प्रयोग करके भरते हुए आप प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. क्या विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है?

जी हां, विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अनुपलब्धता की स्थिति में अभ्यर्थी उक्त के संबंध में 50 रूपये का नॉन ज्यूडिशल (गैर न्यायिक) शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वर–वधु, उनके माता पिता का नाम मय निवास स्थान का पता, विवाह की तिथि, विवाह स्थल का नाम एवं पता, स्पष्ट रूप से अंकित हो एवं विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनने का कारण भी स्पष्ट करें। जब आपका विवाह प्रमाण पत्र बन जावे तो उसे विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. **क्या संतान संबंधित घोषणा पत्र नोटरी/पार्षद/सरपंच इत्यादि द्वारा प्रमाणित करवाया जा सकता है**?

जी नहीं, संतान संबंधित घोषणा पत्र केवल राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही सत्यापित किया जाना चाहिए।

11. विवाहित महिला अभ्यर्थी जिन्होने विवाहोपरान्त अपने नाम में अपने पति का सरनेम (अन्तिम नाम) लगा लिया है, जो कि उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित उनके अंतिम नाम से मेल नहीं खाता है उन्हे क्या करना चाहिए?

विवाहित महिला अभ्यर्थी जिन्होने विवाहोपरान्त अपने नाम में अपने पति का सरनेम (अन्तिम नाम) लगा लिया है, जो कि उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित उनके अंतिम नाम से मेल नहीं खाता है उन्हे चाहिए कि वे अपना विवाह प्रमाण पत्र, एक फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड जिसमें उनका विवाहोपरान्त नाम अंकित हो मय 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशल (गैर न्यायिक) शपथ पत्र प्रस्तुत करें, एवं इस शपथ पत्र में अपने सरनेम परिवर्तन का कारण सुस्पष्ट रूप से अंकित करें एवं जिस भी नाम से आप ने अपना ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र भरा है को शपथ पूर्वक बयान करें।